सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 28/2012

**प्रार्थी**

पप्पुदेवी पत्नी सुगनचन्दजी
पुत्री वेनाराम जी उर्फ वीरमराम
जाति माली, निवासी चावण्डिया
तहसील रायपुर जिला पाली

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. मलाराम पुत्र श्री घमण्डाराम
2. चैनाराम पुत्र श्री घमण्डाराम
3. मांगीलाल पुत्र श्री घमण्डाराम
4. हाथीराम उर्फ प्रभुराम पुत्र श्री घमण्डाराम
5. केशरीदेवी पत्नी घमण्डाराम जाति माली निवासीगण खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
6. कमलादेवी पुत्री घमण्डाराम पत्नी शिवजी जाति माली निवासी बेरा भानिया नाड़ा पीपाड़शहर, जिला जोधपुर
7. रूकमादेवी पत्नी बाबुलाल पुत्री वेनाराम जाति माली, निवासी बेरा बीरमवाड़ी पीपाड़शहर, जिला जोधपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पदेन सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा

## राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

**निर्णय** **दिनांक :— 14.07.2017**

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 व 4 की ओर से जवाब पेश हो चुका है। शेष अप्रार्थी संख्या 1, 3, 5 से 7 तक बावजुद नोटिस तामिल के अनुपस्थित है अत इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। सयुक्त खातेदारी भूमि में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इन्च में हक हिस्सा होता है। अतः सयुक्त खातेदारी भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार व नम्बर से कम होकर मूल राजस्व वाद पप्पूदेवी बनाम मलाराम वगैराह के साथ सलंग्न हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा